न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारीः ओ.पी. बुनकर I.A.S.

प्रकरण संख्या – 68/2016 (आवन्टन निरस्तीकरण)

जीसीएमएस नं0 2016/00431

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, रामगंजमण्डी जिला कोटा।

----प्रार्थी.

बनाम

अवतार सिंह आत्मज ज्ञानसिंह जाति सिक्ख निवासी रामगंजमण्डी तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा

--अप्रार्थी.

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवन्टन) नियम 1970

उपस्थिति

1. श्री बृजराज सिंह चौहान, राजकीय अभिभाषक
2. श्री राजेन्द्र प्रसाद माथुर, अभिभाषक प्रार्थी

निर्णय

दिनांक –26/07/2022

1. प्रकरण के सम्बन्ध में तथ्य इस प्रकार है कि आवंटी अप्रार्थी अवतार सिंह आत्मज ज्ञानसिंह जाति सिक्ख निवासी रामगंजमण्डी, तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा को ग्राम असकली तहसील रामगंजमण्डी की आराजी खसरा नम्बर 383 की रकबा 0.16 है0 ख0नं0 384 की रकबा 0.18 है0 कुल किता–2 रकबा 0.34 है0 भूमि कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन की गई थी । पटवारी रिपोर्ट अनुसार आवंटी का आवंटित भूमि पर कब्जा नहीं होने तथा आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं की जाने से अप्रार्थी को किये गये उक्त आवंटन को आवंटन नियम 14(4) के तहत निरस्त कराने हेतु प्रार्थी तहसीलदार रामगंजमण्डी द्वारा प्रकरण इस न्यायालय में दिनांक 12.04.2016 को पेश किया गया ।
2. प्रकरण पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी आवंटी को नोटिस जारी किया जाकर तलब किया गया । अप्रार्थी की ओर से एडवोकेट श्री राजेन्द्र माथुर का वकालतनामा पेश हुआ । वकील अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया है कि अप्रार्थी को उक्त आवंटन भूमि पुराने कब्जे के आधार पर नियमन करते हुए अप्रार्थी को आवंटन की गई थी, तब से ही व इसके पूर्व से ही अप्रार्थी का कब्जा बतौर गैर खातेदार चला आ रहा है तथा अप्रार्थी द्वारा उस पर नियमित रूप से काश्त व अन्य सम्बन्धित कार्य किये जा रहे है इसके बावजूद भी पटवारी हल्का की गलत रिपोर्ट पर झूंठे तथ्यों पर उक्त प्रार्थना पत्र अवैध रूप से पेश किया है जो निरस्त योग्य है । प्रार्थी खातेदारी प्राप्त करने का अधिकारी है । अतः प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाकर अप्रार्थी को खातेदारी अधिकार प्रदान किया जावें ।
3. राजकीय अभिभाषक द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को ही दोहराते हुए कथन किया है कि अप्रार्थी द्वारा आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं करने से आवंटन निरस्त योग्य होने से आवंटन निरस्ती का प्रकरण भिजवाया गया है किन्तु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न खसरा गिरदावरी संवत 2068–71 में फसलें सोया एवं सरसों बोया जाना अंकित है । ऐसी स्थिति में कब्जा काश्त की जांच कराई जाकर उसी अनुरूप कार्यवाही की जा सकती है ।
4. हमने राजकीय अभिभाषक एवं वकील अप्रार्थी की बहस सुनी, बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तहसीलदार रामगंजमण्डी द्वारा आवंटन निरस्तीकरण के प्रस्तुत उक्त प्रकरण के साथ जो खसरा गिरदावरी की नकल संलग्न की गई है वास्तव

जिला कलेक्टर
कोटा

में संलग्न खसरा गिरदावरी संवत 2069–71 में सम्पूर्ण रकबे पर फसल सोया, एवं सरसों बोना अंकित किया हुआ है, ऐसी स्थिति में तहसीलदार रामगंजमण्डी का कथन असत्य साबित होता है कि अप्रार्थी का कब्जा काश्त नहीं है । इसके विपरीत वकील अप्रार्थी द्वारा निरन्तर कब्जा काश्त करना बताया है तथा खातेदारी की मांग की गई है ।

5. उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करने के लिए पर्याप्त आधार संलग्न नहीं किया है प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाकर इन निर्देशों के साथ पुनः तहसीलदार रामगंजमण्डी को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में रेकार्ड एवं मौका स्थिति की जांच करें कि आवंटित भूमि पर आवंटी का वास्तव में कब्जा काश्त है अथवा नहीं ? यदि कब्जा काश्त है तो आवंटी को नियमानुसार खातेदारी अधिकार दिये जावें । यदि आवंटी द्वारा कब्जा काश्त नहीं किया जा रहा है एवं आवंटन शर्तो की पालना नहीं की जा रही है तो कब्जा काश्त नहीं करने की पुष्टि में आवंटन से अब तक खसरा गिरदावरी की नकलों के साथ आवंटन निरस्तीकरण का प्रकरण भिजवाया जावें ।
6. निर्णय आज दिनांक 26.07.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(ओ.पी. बुनकर)
जिला कलक्टर, कोटा

जिला कलेक्टर
कोटा